

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

संख्या-इज्जतनगर/24

मारहरा स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 6.2.2013
लागू तिथि 13.4.2013
पुनरीक्षण तिथि Feb-18

”बी” श्रेणी इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-III, बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलो सहित
(MACL Signals)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii), देखें)

टिप्पणी : 1.संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/24 दिनांक 6.5.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये।
ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/MHA/SIP/2007/VER-ZERO/27 आल्टरेशन ‘बी’ पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 3 दिनांक 16.1.2008 Alt “A” दिनांक 13.12.2010 संलग्न है जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

मारहरा स्टेशन कासगंज जं० - मथुरा जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कासगंज जं० से 10.86 किलोमीटर तथा मथुरा जं० से 94.14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन , आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

कासगंज जं० (पूर्व दिशा में) :- 10.86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अगसौली (पश्चिम दिशा में) :- 8.45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-
इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० तथा आई०बी०एस० नहीं है।
- (ii) बाहरी साइडिंगें :- कोई नहीं।
- (iii) नान-ब्लाक हॉल्ट स्टेशन :- कोई नहीं।

2.3. स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :

| | | |
|---------------------|--|---|
| स्टेशनो के बीच | वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है। | वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है। |
| मारहरा - अगसौली | अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 (मारहरा) | डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (अगसौली) |
| मारहरा - कासगंज जं० | डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (मारहरा) | अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 (कासगंज जं०) |

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो : कोई नहीं।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) : अभिन्यास 3 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने है

2.5.1 परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

(क)

| परिचालित लाइन संख्या | स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) | टिप्पणी |
|----------------------|---|---|
| 1 | 730 मीटर | प्लेटफार्म वाली लूप लाइन |
| 2 | 686 मीटर | मैन लाइन |
| 3 | 730 मीटर | लूप लाइन अप एवं डाउन दिशा में सैन्ड हैम्प प्रदत्त है। |

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 रेलपथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है। रेलपथ परिपथ अप होम सिगनल से आगे 5 रेक तक तथा डाउन होम सिगनल के आगे पाँच रेल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

2.5.2. अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) : कोई नहीं।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक :

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

| फाटक | श्रेणी | स्थिति | सामान्य दशा | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | अन्त-प्राप्त है या नहीं | संचार | गाड़ी चालित चेतावनी घण्टी |
|-------------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| परिचालन समपार फाटक | | | | | | | |
| 259 | सी | डा० अग्रिम प्रस्थान सिगनल और अप होम सिगनल के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला । | कार्यरत गेट मैन | है | स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| 260 | सी | डाउन शंट सिग० सं० एसएच 31 तथा कौटा संख्या 201A के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | कार्यरत गेटमैन | है | कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |
| इंजीनियरिंग समपार फाटक | | | | | | | |
| 258 | सी | अप डिस्टेन्ट एवं अप होम सिगनल के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | अरक्षित | अरक्षित | अरक्षित | अरक्षित |
| 261 | सी | डाउन डिस्टेन्ट एवं डाउन होम सिगनल के मध्य | सड़क यातायात के लिये खुला | अरक्षित | अरक्षित | अरक्षित | अरक्षित |
| 263 | सी | मारहरा-अगसौली के मध्य किमी० 259/5-6 | सड़क यातायात के लिये बन्द | कार्यरत गेटमैन | है | कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन | नहीं |

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" से "क"-II देखें ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों कासगंज तथा अगसौली से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है ।

| प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार | सहकारी/ असहकारी | संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी | जिनके पास चाबी रखना है | टिप्पणी |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकेन लैस टेलीफोन युक्त एक्सल काउन्टर के साथ अगसौली एवं कासगंज जं० स्टेशनों से सम्बद्ध | असहकारी | कार्यरत स्टेशन मास्टर | कार्यरत स्टेशन मास्टर | - |

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02, से 14.06, 14.11 से 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है । सहा० नियम 14.02(V), साधा० नियम 14.04 तथा सामान्य एवं सहा० नियम 14.13 देखें ।

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**4.1 **विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :**

मारहरा स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें)।

प्रदत्त सिगनल :(क) **अप आगमन सिगनल (कासगंज जं० से) :**

- अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या A-12
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 मेन लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 लूप लाइन संख्या-1 के लिये बॉया जंक्शन इंडिकेटर सहित
- अप होम सिगनल संख्या- एस-12 लूप लाइन संख्या-3 के लिये दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (अगसौली को)

- i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-4 मेन लाइन संख्या-2 से
- ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -6 लूप लाइन संख्या-1 से
- iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -8 लूप लाइन संख्या-3 से
- iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-2 (टोकेन लैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)

(ग) अप कालिंग आन सिगनल :- सी-10

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(घ) शंट सिगनल :-

| | |
|---|--|
| अप शन्ट सिगनल सं० एस एच-32 कौटा संख्या 204 A के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है | कासगंज छोर से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु |
| अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-26 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 1 से अगसौली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |
| अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-24 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 2 से अगसौली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |
| अप शन्ट सिगनल संख्या एस एच-28 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 3 से अगसौली छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |

(ङ) डाउन आगमन सिगनल (अगसौली से) :

- i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या A-1
- ii) डाउन होम सिगनल संख्या- एस-1 मेन लाइन संख्या-2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
- iii) डाउन होम सिगनल संख्या- एस-1 लूप लाइन संख्या-1 के लिये दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित
- iv) डाउन होम सिगनल संख्या- एस-1 लूप लाइन संख्या-3 के लिये बायां जंक्शन इंडिकेटर सहित

(च) डाउन प्रस्थान सिगनल (कासगंज जं० को)

- i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-5 लाइन संख्या-2 से
- ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -7 लाइन संख्या-1 से
- iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या- एस -9 लाइन संख्या-3 से
- iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या- एस-11 (टोकेन लैस ब्लाक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियन्त्रित)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (छ) **डाउन कालिंग आन सिगनल :-** सी-3
डाउन होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।
- (ज) **शंट सिगनल :-**

| | |
|---|--|
| डाउन शन्ट सिगनल सं० एस एच-31 कॉटा सं० 201 A के बाहर स्वतन्त्र खम्भे पर प्रदत्त है | अगसौली छोर से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु |
| डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-25 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 2 से कासगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |
| डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-27 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 1 से कासगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |
| डाउन शन्ट सिगनल संख्या एस एच-29 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है | लाइन सं० 3 से कासगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु |

रिपीटर :- कोई नहीं

- 4.1.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त हैं।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।
- (ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जंक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जंक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रूट इंगित करेंगीं।
- (घ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनल को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (ङ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैन्सिलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और काँटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते हैं।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (च) स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैंसीलेशन बटन के साथ सिगनल बटन को बचाने पर निर्धारित 120 सेकेन्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2 स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

4.1.3 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब कॉटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

4.1.4 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी :-

पैनल पर स्टेशन मास्टर की एक आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज़ नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० (EUUYN) बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

4.1.5 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-

4.1.6 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.7 रुट बटन :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 व 3 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को "आफ" करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रुट बटन संख्या "बी" तथा लाइन सं० 3 पर स्थित रुट बटन 'सी' को एक साथ दबाने पर रुट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेंगे। इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 को "आफ" करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या एस-2 तथा रुट बटन संख्या "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 "आफ" हो जायेगा।

4.1.8 काँटा बटन -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कांटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

4.1.3 रिमाइन्डर कालर -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या काँटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

(i) इस स्टेशन पर कोई स्थाई रूप से ताला बन्द काँटा नहीं है।

(ii) **यार्ड में संकेतक युक्त ट्रैप काँटे :-** इस स्टेशन पर कोई ट्रैप काँटा नहीं है।

4.1.6 विद्युत चालित काँटा मशीन/क्रेन्क हैण्डिल -

मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रेन्क हैण्डिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी सी०एच०-1 एवं सी०एच०-2 का प्रावधान है। क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है -

स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबायेंगे। विद्युत काँटा मशीन को आपात् कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेंगे।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “ख” के पैरा 7 में वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रैंक हैंडिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी का एलएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबाने पर क्रैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा क्रैंक हैंडिल के एलएन बटन के ऊपर क्रैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा

4.1.5.2 क्रैंक हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण निम्नवत है -

| क्रैंक हैण्डिल संख्या | उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण |
|-----------------------|---------------------------------------|
| सी एच - 1 | 201ए- 201बी, 202ए- 202बी |
| सी एच - 2 | 203ए- 203बी, 204ए- 204बी |

4.1.5.3 प्रत्येक समय जब क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये-

| क्रम सं० | क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद | क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय | क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलताथ परीक्षण | क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर | वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या | स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर | क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय | स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|----------|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति -

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौंपनी चाहिये।

4.2 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) -

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः दो IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

5. दूरसंचार :

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) अगसौली स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) कासगंज जं० स्टेशन के टोकेनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 259/सी के साथ सम्बद्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 260/सी के साथ सम्बद्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- vi) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 263/सी (MHA-AUL) के साथ सम्बद्ध मैग्नेटो टेलीफोन
- vii) वी०एच०एफ० सैट 25 वाट
(संचार व्यवस्था विफलता के दौरान गाड़ी िंचालन परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10A में दिये गये नियमानुसार किया जाये।)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12 एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

6.(क) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्वूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।
- (i) अप गाड़ियों के लिए -
- (अ) लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ii) डाउन गाड़ियों के लिए -

- (अ) लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।
- (घ) सुनिश्चित करें कि डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर लेते समय गेट सं० 260/C या अप गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर लेते समय गेट सं० 259/C को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 551 या 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। अप गाड़ी को मेन लाइन बनाकर किसी भी लाइन पर लेते समय गेट संख्या 259/C तथा 260/C को बन्द एवं लाक कराकर गेट सम्बन्धित नियन्त्रण बटन को दबाया जायेगा।
- (ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये हैं।
- (ञ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर जल जाती हैं।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ी के स्टेशन से प्रस्थान हो जाने के पश्चात कांटो एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटो को सेट करने के लिए सा० एव स० नि० 05.19 देखियें तथा एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 देखें)

6.1. **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन प्रबन्धक, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, गेटमैन, कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :**

दिन की पाली :

| | | | | |
|---------------|---|----|---|----------------------------|
| स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| कौटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 02 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

सौंध्य/रात्रि पाली :

| | | | | |
|---------------------|---|----|---|----------------------------|
| सहायक स्टेशन मास्टर | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| कौटावाला | - | 01 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |
| फाटकवाला | - | 02 | - | निर्धारित रोस्टर के अनुसार |

6.1.2 **लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र**

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

(सामान्य नियम 3.38 (i), 3.40(i) (ख), एवं 8.03(2) ग (ii) देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-**

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो ।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो
- (ग) लाइन, यार्ड में आती हुयी गाड़ी के निकटतम छोर के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो
- (घ) डाउन गाड़ियों के लिए गेट संख्या 263/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया हो।

(साधारण एवं सहायक नियम 8.03(2) (क) (ख) (ग)(II) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

पर्याप्त दूरी / विचलन :- सामान्य नियम 3.40 (i) (b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन की स्थिति में रुकने के स्थान से ली गयी है।

6.2.1.1 ब्लॉक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें -

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कौटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कौटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक अथवा सैण्ड हम्प तक साफ हो ।
- (घ) सुनिश्चित करें कि डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर लेते समय गेट सं० 260/C या अप गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर लेते समय गेट सं० 259/C को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 551 या 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। अप गाड़ी को मेन लाइन बनाकर किसी भी लाइन पर लेते समय गेट संख्या 259/C तथा 260/C को बन्द एवं लाक कराकर गेट सम्बन्धित नियन्त्रण बटन को दबाया जायेगा।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की क्रासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना

(क) इस स्टेशन पर गाडियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है -

- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।
- (ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।
- (iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।

(vi) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है।
(सहायक नियम 5.01 (14) देखे)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन -

(क) स्टेशन से बिना रूके जाने वाली गाड़ी के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करे कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी हैं।

(ख) रूकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 260/सी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा उप गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4-17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान -

1 जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकन लैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
अप गाड़ियों के लिए गेट सं० 263/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें।

(ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बल्लियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।

(ग) अप गाड़ी के मामले में समपार संख्या 260/सी तथा **डाउन** गाड़ी के मामले में समपार संख्या 259/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित करें तथा गेट बन्द एवं लाक हो जाने पर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन 551 अथवा 552 लाकड स्थिति में दबायें। इससे स्टेशन पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिल जायेगा।

(घ) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें। पैनल कन्ट्रोल चाबी रिलीज लाक में लगाकर धुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये।

- (इ) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (ट) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ठ) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्टेशन से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अर्न्तगत निर्धारित है, ड्राइवर एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू)

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबंधों के आधीन बिना रूके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या 1 या 3 से बिना रूके सीधे जाये तो इसकी अनुमति प्रतिबंधित गति से दी जा सकती है। निकट सिगनल तथा प्रस्थान सिगनलों को 'आफ' कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल 'आफ' संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी सम्बन्धित लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जाती है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी क्यू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचालन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन क्यू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये।
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति -

कॉटों एवं सिगनलो के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70 (1)(3), 3.68(I) (ग) तथा सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे।

स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49 (2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलो को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें। (परिशिष्ट ख का पैरा 13 देखें)

ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i) (ii) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली -

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाडी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

(सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)

7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
 2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
 3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
 4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरूध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 **स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्वोरिंग:-**

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों उपयोगी रहेंगी -

- (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ में, पॉच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संगठन गति (Impact Speed) 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये (सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।)

8. शंटिंग

शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखे ।

8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है
- (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
- (ii) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो ।
- (iii) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो ।
- (iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर व शंटिंग चाबी भी दी जाये ।

(ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग - निम्न शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है -

- (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
- (ii) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों ।
- (iii) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- (iv) चालक को टी /806 प्रपत्र पर शंटिंग आदेश के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाये ।

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कौंटो तक शंटिंग की अनुमति है ।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कौंटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है ।
- (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
- (ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो ।
- (iii) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो तथा
- (iv) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है-

- (i) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (ii) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

- (क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी। (सामान्य नियम 8.06(1) देखें)
- (ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है।

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -

- (क) यार्ड में दोनो ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय ट्रैफिक गेट सं० 259/C, 260/C को बन्द एवं लाक कराकर इनका नियन्त्रण बटन क्रमशः 552, 551 को लाकड स्थिति में दबाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**
 1. सामान्य पर्यवेक्षण
 2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
 3. यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
 4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है तथा कौंटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना।
 5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना।

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5 स्टेशन यार्ड / माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग -

कोई नहीं

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.6 आउट लेइंग साइडिंग की कार्य विधि - कोई नहीं ।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश ब्लाक टेलीफोन/बी०एस०एन०एल०फोन या कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लियर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लियर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लियर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।
- 2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लियर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
 - (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लियर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लियर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा।
 - (ii) लाइन क्लियर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लियर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2 लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा। (सामान्य एवं सहायक नियम 6.01, 6.02, 6.04, 6.07 से 6.11 देखे।)
3. यदि कोई मोटर चालित कौटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कौटे पर ट्रेलिंग या फेसिंग दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कौटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त कौटों को सेट करने की नार्मल एवं रिवर्स दिशाओं के ठीक-ठीक इन्डिकेशन मिलने पर ही उक्त कौटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी मे अंकित किया जाये।
- (ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कौटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि -
संचालन नियम के पैरा 4.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- (ग) कौटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना -
संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 16 को देखें।
- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता -
- 9.1.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है
सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -
- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन।
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी०एस०एन०एल० फोन।
- (ङ) नियंत्रण दूरभाष।
- (च) वी०एच०एफ० सेट।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

91.2 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन:

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये -

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा ।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

| क्रम | प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर | प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर |
|------|--|---|
| 1. | संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा | निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा । |
| (क) | लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार | |
| (ख) | सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है । | |
| (ग) | अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार । | |

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

| | | |
|-----|---|--|
| (घ) | प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा । | |
| (ङ) | प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो । | |
| 2. | यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा । | 2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीयर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे। |

टिप्पणी :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश -

- 1 **मेण्डू** स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाय सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी -
- 2 सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।
- 2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।
- 2.2 बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।
- 2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलर्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- 2.4 जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये जेनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जेनरेटर हैण्डल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।
3. इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।
- (अ) जेनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ब) इस स्टेशन पर दो जेनरेटर क्रमशः जेनरेटर सं० 1 एवं जेनरेटर सं० 2 लगे है। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जेनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर स्टैण्ड वाई जेनरेटर सं० 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जेनरेटर सं० 2 को प्रयोग किया जायेगा।
- (द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 2-2 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।
4. जब कामर्शियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कामर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जेनरेटर को बंद कर दिया जाये।
5. जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका प्रविष्टि तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का प्रविष्टि लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का प्रविष्टि लाग बुक में निम्न प्रकार से करें:-

व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जेनरेटर प्रचालन -

| क्रम सं० | तिथि | IPS को चार्ज करने का समय घंटा एवं मिनट में | कामर्शियल पावर सप्लाई विफलता | | | जेनरेटर रनिंग | | | | टिप्पणी |
|----------|------|--|------------------------------|----------------|---------|---------------------|------------------|---------|-------------|---------|
| | | | विफलता का समय | आपूर्ति का समय | कुल समय | स्टार्ट करने का समय | बन्द करने का समय | कुल समय | मीटर रीडिंग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

डीजल का उपयोग :

| क्रम संख्या | दिनांक | कितना डीजल प्राप्त हुआ | जनरेटर का कुल रनिंग समय | डीजल तेल की कुल खसपत | शेष डीजल तेल | टिप्पणी |
|-------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।
8. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -**
आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।
9. **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि -**
(क) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
(ख) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-३६६(३बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।
10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**
(क) **अप छोर :**
दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
(ख) **डाउन छोर :**
दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या 3 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)
11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर :** परिशिष्ट "ड" देखें।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फॉग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका मे अलग से तैयार की जायेगी ।

13. परिशिष्टों की सूची :

| | |
|--------------|---|
| परिशिष्ट "क" | समपार फाटको का संचालन |
| परिशिष्ट "ख" | संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति |
| परिशिष्ट "ग" | टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) |
| परिशिष्ट "घ" | गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य |
| परिशिष्ट "ङ" | स्टेशन के आवश्यक उपस्कर |
| परिशिष्ट "च" | डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम |
| परिशिष्ट "छ" | विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम |

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिनो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
 7. मार्शलिंग यार्ड, रिपैकिंग शेड, गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
 8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 10. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तब वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कौटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करे।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. **परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :**

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, कौंटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लाज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कौंटों की विफलता में इनकी फेसिंग तथा ट्रेलिंग दोनों स्थिति में ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग सहायक नियम 3.39 के अनुसार स्वयं सुनिश्चित करे।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना ।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
7. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
8. उसके प्रभार में कौटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
 - i) सिगनल, कौटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
10. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
11. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

(गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के लिये परिचालन नियमावली के अध्याय 3 को देखें।)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ड'

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. बैट्री चालित ट्राई कलर टार्च - 05
2. हाथ सिगनल बत्ती (के०आयल) - 04 (समपार 259/सी एव 260/सी हेतु)
3. हाथ सिगनल झण्डी - 05 हरी तथा 08 लाल
4. पटाखा सिगनल - 50
5. सुरक्षा जंजीरे - 04 तालो सहित
6. क्लैम्प - 06 तालो सहित
7. अग्निशामक यंत्र(डी०सी०पी० टाइप) - 02
8. फायर बकेट - 06
9. प्राथमिक चिकित्सा पेटी - 01
10. लकड़ी के गुटके - 04

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”